

FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

नामा बनाव जीवन कुमार

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 195/2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
20.5.25	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>नाना S/O रामा जी लोढा</u></p> <p>पिता श्री <u>रामा जी लोढा</u></p> <p>निवासी <u>भूपरसूरीपुरा (OR) तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम लालजी</u> <u>का खेड़ा (बोछी) (OR) स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 627 (खाना 73)</u> <u>850/628 (खाना 243) 851/628 0.18 (खाना 248)</u> <u>0.15 0.15</u></p> <p>कुल कीता <u>3</u> कुल रकबा <u>0.48</u> है 0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>लालजी का खेड़ा (बोछी) (OR)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>627, 850/628, 851/628</u> <u>0.18, 0.15, 0.15</u></p> <p>कुल कीता <u>3</u> रकबा <u>0.48</u> है 0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>1000</u> रुपये अक्षरे <u>रु. 6271 धार</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(बीनू देवल) उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>